प्रेषक,

संख्या:1934/XXIV-3/08/02(95)2006

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप महानिदेशक,
एन0सी0सी0 निदेशालय,
बंगला नं0 बी–4,नागनाथ रोड,
घंघोडा,गढी कैन्ट,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून दिनाँक 11 नवम्बर,2008

विषय: ननूरखेडा, देहरादून में एन0सी0सी0 निदेशालय के भवन निर्माण के स्वीकृत आगणन के विरूद्ध शेष धनराशि दिलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2228/स्टेट लैण्ड/पारिभारिकी दिनांक 13.10.2008 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 689/XXIV-3/2007/2(95)/2006 दिनाँक 31 जनवरी,2007,शासनादेश संख्या 1162/XXIV-3/2007/2(95)/2006 दिनाँक 16 अक्टूबर,2007 एवं शासनादेश संख्या 427/XXIV-3/2007/2(95)/2006 दिनाँक 24 मार्च, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ननूरखेडा, देहरादून में एन0सी0सी0 निदेशालय के भवन के निर्माण हेतु कार्यदाई संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून इकाई द्वारा गठित एवं टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 129.60 लाख, के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड़,पच्चीस लाख मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू0 4.60 लाख (रूपये चार लाख,साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 मे शासनादेश संख्या: 1121/XXIV-3/2007/02(20)/2007 दिनांक 03.08.2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 4.60 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

अर्पण

क्रमशः....2

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9) यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य संभव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति शेष अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

(10) जी0पी0 डब्लू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(13) उक्त निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय– व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–800–अन्य व्यय–आयोजनागत–00–30–एन0सी0सी0 निदेशालय का भवन निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

क्रमशः....3

संख्याः 1934 (1)/XXIV-3/08/02(95)2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मत्री जी।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6– उप महानिदेशक,एन0सी0सी0 निदेशालय उत्तराखण्ड बंग्ला नं0 पी–4,नागनाथ रोड, घंघोड़ा, गढी कैन्ट,देहरादून।
7– बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– जिलाधिकारी, देहरादून।
9– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
11– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
12– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13 – सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी,राजकीय निर्माण निगम लि0 220 इन्दिरा नगर देहरादून।
14– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।